न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 168/2018

अनवान :

1. विकासकुमार पुत्र बलवन्तसिंह जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।
2. विक्रमसिंह पुत्र बलवन्तसिंह जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. बलवन्तसिंह पुत्र लखमीचन्द जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।
2. सुनीता पुत्री बलवन्तसिंह जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।
3. अन्जु पुत्री बलवन्त सिंह जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।
4. सविता पुत्री बलवन्तसिंह जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।
5. एसबीआई डाबडी जरिये शाखा प्रबन्धक डाबडी तहसील भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा, तहसील भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री नरेन्द्र शर्मा : **वादी**

वकील श्री जयकिशन गोदारा : **प्रतिवादी सं0 1 ता 4**

निर्णय **दिनांक :** 21.6.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा डाबडी के वर्तमान खाता सं0 204/186 के खसरा सं0 2 की 7.400 है0 खसरा सं0 21/2 की 3.795 है0, खसरा सं0 104 की 1.518 है0, खसरा सं0 118 की 10.171 है0 खसरा सं0 119 की 0.759 है0 कुल किता 5 की 23.643 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी बलवन्तसिंह के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है जो पहले वादीगण के परदादा तनसुख पि0मु0 नानक की खातेदारी हुआ करती थी। तनसुख के देहान्त होने पर उक्त भूमि वादीगण के दादा लखमीचन्द के नाम दर्ज हो गई एवं बाद में प्रतिवादी बलवन्तसिंह व उसके भाईयों के नाम दर्ज हो गई। वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादभूमि का विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी बलवन्तसिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते अपने नाम दर्ज करवा रखा है। प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 ने पारिवारिक सैटलमेन्ट में अपना हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 पक्ष में तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया था।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 5 व 6 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादीगण में पीडब्ल्यु 1 विकासकुमार के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम डाबडी खाता सं0 204/186 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 1, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम डाबडी सम्वत् 2029–38 प्रदर्श 2, सत्यप्रतिलिपि नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम डाबडी प्रदर्श 3, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैत्रक कृषि भूमि है, जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम डाबडी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा की पुष्टि में जो प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम डाबडी सम्वत् 2029–38 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई है उनमें वाद भूमि वादी के दादा तनसुख पि0मु0 नानक के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि पैत्रक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 में बलवन्तसिंह के वारिसान में तीन पुत्री सुनीता, अंजु, सविता व दो पुत्र विकास कुमार, विक्रम सिंह होना व इसके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डाबडी के वर्तमान खाता सं0 204/186 के खसरा सं0 2 की 7.400 है0 खसरा सं0 21/2 की 3.795 है0, खसरा सं0 104 की 1.518 है0, खसरा सं0 118 की 10.171 है0 खसरा सं0 119 की 0.759 है0 कुल किता 5 की 23.643 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी बलवन्तसिंह के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 ता 4 ने वादभूमि में से अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है, इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त ही कृषि भूमि उपरोक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 तीनों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.6.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 168/2018

अनवान :

1. विकासकुमार पुत्र बलवन्तसिंह जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।
2. विक्रमसिंह पुत्र बलवन्तसिंह जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।

- वादीगण

बनाम

1. बलवन्तसिंह पुत्र लखमीचन्द जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।
2. सुनीता पुत्री बलवन्तसिंह जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।
3. अन्जु पुत्री बलवन्त सिंह जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।
4. सविता पुत्री बलवन्तसिंह जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।
5. एसबीआई डाबडी जरिये शाखा प्रबन्धक डाबडी तहसील भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा, तहसील भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 श्री जयकिशन गोदारा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डाबडी के वर्तमान खाता सं0 204/186 के खसरा सं0 2 की 7.400 है0 खसरा सं0 21/2 की 3.795 है0, खसरा सं0 104 की 1.518 है0, खसरा सं0 118 की 10.171 है0 खसरा सं0 119 की 0.759 है0 कुल किता 5 की 23.643 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी बलवन्तसिंह के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 ता 4 ने वादभूमि में से अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है, इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त ही कृषि भूमि उपरोक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 तीनों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.6.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़